

1) मूल रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः इनके विरुद्ध
 एक तरफा कार्यवाही उममल में लाई जाती है। अपीलकर्ता
 की ओर से श्री B.L. बंधारार Av उप. हुये, तथा अप्रायोजित
 न. 1 की ओर से श्री लक्ष्मीकांत शर्मा Av उप. तथा
 अप्रायोजित न. 2, 4, 6, 7 की ओर से श्री विजय सिंह गुप्ता
 Av उप. हुये। वकील उममल पक्ष ने बहस करने में
 सहमति जाहिर की गई। बहस वकील उममल पक्ष
 की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक
 16.8.2019 को पेश हो।

16.8.19
 उप जिला कलक्टर
 बामनवास (जिला-सोमा)

16.8/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उममल पक्ष उप. बहस
 वकील उममल पक्ष पर मनन किया गया, पत्रावली
 का अवलोकन किया गया। अपील रद्दीकरण
 को रिमांड की जाती है। निर्णय पक्ष से
 लिखा जाकर शांति पत्रावली किया गया।
 पत्रावली फौजल भूमा लेकर बाद तकनीक
 दफ्तर दारबिल की जावे।

16.8.19
 उप जिला कलक्टर
 बामनवास (जिला-सोमा)

